न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या 170 / 2022

अनवान : –

1. सत्यवीर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. जगदीप पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. जयकिशन पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. दलीप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. धर्मवीर पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. निर्मला पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. पृथ्वीसिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. भालाराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. महेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. राजेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. रोहित कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. विनोद पुत्र इन्द्रपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. विमला पत्नी इन्द्रपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. शारदा पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
15. शारदा पुत्री इन्द्रपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
16. शिशपाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
17. सन्तरों पुत्री इन्द्रपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
18. सुरेन्द्र पुत्र इन्द्रपाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
19. सावत्री पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
20. सावत्री पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
22. उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:08 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक: 05/02/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि राही मौजा चक 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86 / 86 के प0न0 374 / 416 मु0न0 10 के [QR] न0 23–24 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.5060है0 25/1 की 0.2280है0, 25/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 374/417 मु0न0 15 के किला न0 3 ता 5 की 0.7590है0, 6 ता 8 की 0.7590है0, 9 ता 12 की 0.7590है0, 13 ता 15 की 0.7590है0, 16 ता 18 की 0.7590है0, 19, 20 व 25 की 0.7590है0,प0न0 374/420 मु0न0 34 के किला न0 6 की 0.2530है0, 14 ता 16 की 0.7590है0, 17, 24, 25 की 0.7590है0, प0 न0 375/416 के मु0न0 9 के किला न0 21 ता 25 की 1.2650है0 भूमि प0न0 375/417 के मु0न0 16 के किला न0 1/1 की 0.2280है0, 1/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 2/1 की 0. 2270है0, 2/2 की 0.0260है0 गै0मु0 रास्ता, 3/1 की 0.2280है0, 3/2 की 0.0280है0 गै0मु0 रास्ता, 4/1 की 0.2270है0, 4/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 5/1 की 0.2020है0, 5/2 की 0.0510है0 गै0मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2280है0, 6/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 7 ता 11 की 1.2650है0, 12 ता 14 की 0.7590है0, 15/1 की 0.2270है0, 15/2 की 0.0260है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 21 की 1.2650है0, 22 ता 24 की 0.7590है0, प0न0 375/418 मु0न0 21 के किला न0 1/1 की 0.2280है0, 1/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 2/1 क 0.2270है0, 2/2 की 0. 0260है0 गै0मु0 रास्ता, 3/1 की 0.2280है0, 3/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 4/1 की 0. 2270है0, 4/2 की 0.0260है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 375/420 मु0न0 33 के किला न0 1 की 0. 2530है0, 2 ता 4 की 0.7590है0, 5/1 की 0.2280है0, 5/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 6/1 की 0.2270है0, 6/2 की 0.0260है0 गै0मु0 रास्ता, 7 ता 11 की 1.2650है0, 12 ता 14 की 0. 7590है0, 15/1 की 0.2280है0, 15/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 17 ता 21 की 1.2650 है0, 22 ता 24 की 0.7590है0, प0न0 375/421 मु0न0 40 के किला न0 3/1 की 0.2280है0, 3/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, प0न0 376/416 मु0न0 8 के किला न0 21 की 0.2530है0, प0न0 376/417 मु0न0 17 के किला न0 1/1 की 0.2280है0, 1/2 की 0.0250है0 गै0मु0 रास्ता, 10 की 0.2530है कुल 104 किता की 22.0110है0 नहरी भूमि में सायल के 1/32 हिस्सा, गैरसायल स0 1 के 1/8 हिस्सा, गैरसायल स0 2 के 1/16 हिस्सा, गैरसायल स0 3 के 1/8 हिस्सा, गैरसायल स0 4 के 1/16 हिस्सा, गैरसायल स0 5 के 1/32 हिस्सा, गैरसायल स0 6 के 1/32 हिस्सा, गैरसायल स0 7 के 1/16 हिस्सा, गैरसायल स0 8 के 1/16 हिस्सा, गैरसायल स0 9 के 1/24 हिस्सा, गैरसायल स0 10 के 1/24 हिस्सा, गैरसायल स0 12 के 1/40 हिस्सा, गैरसायल स0 13 के 1/40 हिस्सा, गैरसायल स0 15 के 1/40 हिस्सा, गैरसायल स0 16 के 1/24 हिस्सा, गैरसायल स0 17 के 1/40 हिस्सा, गैरसायल स0 18 के 1/40 हिस्सा, गैरसायल स0 19 के 1/32 हिस्सा भूमि के सायल व गैरसायल मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि चन्दगीराम पुत्र रूपराम के फौत के अविवाहित फौत होने से रोहित कुमार पुत्र रूपराम, शारदा पुत्री रूपराम, सावित्री पत्नी रूपराम, चन्दगीराम के वारिस हुए अर्थात गैरसायल स0 11, 14, 20 तीनों 2.06353 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायल व गैरसायल का खाता मुश्तरका है तथा सायल ने वादग्रस्त भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। मुश्तरका खाता होने से सायल के साथ गैरसायल का सींव व लगान आदि का झगड़ा बना रहता है तथा गैरसायलान सायल की हिस्से व कब्जे की भूमि की हड़प करने की एवं वाद भूमि अन्यत्र रहन/बैय करने पर आमाद है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्णीय क्षति होंगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि त[illegible] के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें की रोही मौजा चक 13 [illegible]आर तहसील नोहर के खाता स0 86/86

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल तादादी 11.0110है0 भूमि का विशेष हिस्सा भूमि गैरसायलान बैचान करने से निषिद्ध रहें एवं विभाजन से पूर्व काबिज होने से निषिद्ध रहें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ख13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 86/86 की कुल तादादी 11.0110है0 भूमि का विशेष हिस्सा कृषि भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के विशेष हिस्से का बेचान नही करें।

अप्रार्थी स0 8 व 11 की और से अधिवक्ता श्री रविन्द्र गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। नोटिस सम्यक रूप से तामिल होने के उपरान्त भी न तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 7, 9, 10, 12 ता 20 न तो स्वयं उपस्थित हुए और नही उनकी और से कोई विधिक पेरोकार उपस्थित हुआ। बार बार आवाज लगाई गई लेकिन प्रतिवादीगण स0 1 ता 7, 9, 10, 12 ता 20की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ अतः प्रतिवादीगण स0 1 ता 7, 9, 10, 12 ता 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी स0 8 व 11 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र मे प्रार्थना पत्र की सभी मदों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन में अंकित किया की गैरसायल स0 8 ता 11 अपने कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज है। गैरसायल स0 8 विकलांग व्यक्ति है जिसके गुजारे के लिए उक्त विवादित सहखातेदार भूमि है। गैरसायल स0 8 जो कि 75 प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग घोषित है जिसकी भूमि हड़पने की नियम से गेलत तरीके से विभाजन की आड़ में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाकर गैरसायल के खातेदारी हकों का हनन किया जा रहा है। उक्त वाद भूमि का पूर्वजों के समय से बाहमी बंटवारा हो चुका है तथा सभी काश्तकार उसी मुताबिक कब्जा काश्त करते चले आ रहे है इसलिए निराधार व मनगढ़त कहानी कर द्वेषता पूर्ण पेश किया गया दावा/प्रार्थना पत्र गैरसायलान को नुकासान पंहुचाने की नियत से किया गया है। जो काबिल खारीजी है। सहखातेदार किसी अन्य सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करवा सकते है। मुश्तरका खाता में प्रत्येंक खातेदार मुश्तरका भूमि के ईंच ईंच भूमि के हिस्सेदार होते है रहन व बेचान में हिस्सा ही होता है कोई विशेष हिस्सा मुश्तरका में बेचान नही होता है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खीरजी है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी 2013 पेज न0 1118, आर0बी0जे0 1998 पेज न0 435, आर0बी0जे0 1998 पेज न0 462 पेश कियें जिनका हमने ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में उपयोग में लिया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि विचाराग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की [illegible] के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम [illegible] सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? उक्त वाद भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा सभी अपने हक हिस्सा मुताबिक काबिज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। यदि अप्रार्थीगण अपनी हक व हिस्सा व कब्जाशुदा भूमि का बैचान करता है तो प्रार्थी को कोई क्षति होनें की संभावना नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा एंव कब्जाशुदा भूमि का बैचान करता है न कि प्रार्थी का हिस्सा और न ही किसी विशेष हिस्से का। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से दिनांक 26.07.20222 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 05/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:19:08 IST
Reason: SelfAttested